प्रेस नोट दिनांक 02.08.2026

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा राजकीय कार्य में बाधा, सड़क जाम, पुलिस टीम पर हमला, लोक व्यवस्था भंग करने के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जेठवारा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा सड़क जाम कर राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, पुलिस बल के साथ अभद्रता एवं लोक व्यवस्था भंग करने के मामले में 02 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 31.07.2026 को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कानूपुर में सड़क दुर्घटना में रामाश्रय विश्वकर्मा पुत्र स्व. महादेव निवासी ग्राम कानूपुर की मृत्यु हो जाने के उपरांत कुछ उग्र असामाजिक तत्वों एवं ग्रामीणों द्वारा मृतक के शव को प्रतापगढ़-लालगोपालगंज मुख्य मार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया गया, जिससे आवागमन पूर्णतः बाधित हो गया तथा दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची तथा भीड़ को समझा-बुझाकर शव हटवाने एवं यातायात सुचारु कराने का प्रयास किया गया।

इस दौरान भीड़ में शामिल कुछ व्यक्तियों द्वारा पुलिस बल के साथ गाली-गलौज, अभद्रता एवं हाथापाई का प्रयास करते हुए राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई तथा सड़क जाम कर हंगामा किया गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। उपद्रव के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ तथा आपातकालीन सेवा 108 एम्बुलेंस का आवागमन भी बाधित हो गया। घटना के संबंध में थाना जेठवारा पर मु0अ0सं0 242/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 121(2), 132, 126(2), 352, 351(3), 223 बीएनएस, धारा 7 सीएलए एक्ट एवं 2/3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी जेठवारा श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अरुण मौर्या मय हमराह हे0का0 राकेश सिंह, का0 शैलेश चौहान, रि0का0 साहिल कुमार एवं रि0का0 रोहित कुमार गौंड द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम कानूपुर से घटना में नामजद 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 31.07.2026 को सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्होंने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया था। पुलिस द्वारा जाम समाप्त कराने का प्रयास किए जाने पर वे उत्तेजित होकर अन्य लोगों के साथ पुलिस का विरोध करने लगे तथा घटनास्थल से बाद में फरार हो गए थे। मुकदमा दर्ज होने की जानकारी होने के कारण दोनों अभियुक्त पुलिस से बचने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. रामसिंह पुत्र स्व. तेज बहादुर सिंह, निवासी ग्राम कानूपुर, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 50 वर्ष।
2. अशोक कुमार विश्वकर्मा पुत्र रामजतन विश्वकर्मा, निवासी ग्राम कानूपुर, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 36 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त राम सिंह पुत्र तेज बहादुर उम्र करीब 50 वर्ष नि0 ग्राम कानूपुर थाना जेठवारा प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 -72/2004 धारा 147/323/427/504/506 भादवि

2. मु0अ0सं0-261/2005 धारा 279/304A/338 भादवि
3. मु0अ0सं0-116/2009 धारा 110जी सीआरपीसी
4. मु0अ0सं0- 154/2021 धारा 171B/323/34/504 भादवि
5. मु0अ0सं0-242/26 धारा 191(2)/191(3)/190/121(2)/ 132/126(2)/352/351(3)/223 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट व 2/3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 1984

पुलिस टीम-
उ0नि0 अरुण मौर्या, हे0का0 राकेश सिंह, का0 शैलेश चौहान, रि0का0 साहिल कुमार एवं रि0का0 रोहित कुमार गौंड, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना उदयपुर के उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह मय हमराह रि0का0 रवि कुमार व रि0का0 अखिलेश कुमार पाण्डेय द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की तलाश एवं दबिश के दौरान, माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत फौजदारी वाद संख्या 1149/2013, राज्य बनाम शंकर वर्मा आदि, अ0सं0 185ए/2012 धारा 323/504/506 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त शंकर वर्मा पुत्र रामसुमेर वर्मा निवासी ग्राम छोटी कटरिया थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत फौजदारी वाद संख्या 29/2014, राज्य बनाम शमसेर सिंह, एनसीआर संख्या 117/2011 धारा 323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 02 वारण्टी अभियुक्तों 1. शमसेर सिंह पुत्र मदारी सिंह निवासी ग्राम पूरे लोका थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ एवं 2. अनोखे सिंह पुत्र शमसेर सिंह निवासी ग्राम पूरे लोका थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. शंकर वर्मा पुत्र रामसुमेर वर्मा, उम्र करीब 60 वर्ष, निवासी ग्राम छोटी कटरिया थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
2. शमसेर सिंह पुत्र मदारी सिंह, उम्र करीब 61 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे लोका थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
3. अनोखे सिंह पुत्र शमसेर सिंह, उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे लोका थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना देल्हूपुर के उ0नि0 शिवा प्रजापति मय हमराह हे0का सुनील कुमार यादव व रि०आ० रोहित राव कालकर द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी दौरान मा0 न्यायालय एडिसनल प्रिंसिपल जज फैमली कोर्ट महोदय प्रतापगढ़ द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट केश संख्या 164/25 धारा 147 बीएनएसएस से सम्बन्धित अभियुक्त वारण्टी शाहिद अली पुत्र हातिम अली निवासी ग्राम चांदपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. शाहिद अली पुत्र हातिम अली निवासी ग्राम चांदपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 शिवा प्रजापति मय हमराह हे0का सुनील कुमार यादव व रि०आ० रोहित राव कालकर थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी एवं जालसाजी के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसपुर देवसरा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना स्थानीय पर पंजीकृत धोखाधड़ी एवं जालसाजी के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विभिन्न व्यक्तियों से लाखों रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी सत्यानन्द ओझा पुत्र हरि प्रसाद ओझा निवासी ग्राम फतूपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0सं0 105/2026 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया। आरोप है कि अभियुक्त नारायणदास पाण्डेय एवं सुनील कुमार पाण्डेय द्वारा यशोदानंदन माध्यमिक विद्यालय में लिपिक एवं चपरासी पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी नियुक्ति पत्र, फर्जी शासनादेश एवं कूटरचित अभिलेख तैयार कर कई अभ्यर्थियों से लगभग ₹61 लाख की धनराशि प्राप्त कर धोखाधड़ी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश चौरसिया के नेतृत्व में उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह का0 तेजबहादुर द्वारा वांछित अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर पट्टी-रेडीगारा मार्ग स्थित भोपालपुर मोड़ से अभियुक्त नारायणदास पाण्डेय पुत्र भूपतिदास पाण्डेय निवासी ग्राम गंधियावा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 66 वर्ष को दिनांक 01.08.2026 को समय करीब 21:20 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

मु0अ0सं0 105/2026 धारा 420/467/468/471 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त नारायणदास पाण्डेय को उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह का0 तेजबहादुर द्वारा मुखबिर की सूचना पर पट्टी-रेडीगारा मार्ग स्थित भोपालपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके विरुद्ध थाना आसपुर देवसरा में धोखाधड़ी एवं जालसाजी का मुकदमा पंजीकृत होने के कारण वह गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा था। अभियुक्त से प्रकरण के संबंध में पूछताछ एवं अन्य साक्ष्यों के संकलन की कार्यवाही प्रचलित है। मुकदमे में नामजद अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं प्रकरण से संबंधित अन्य आवश्यक विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास नारायण दास पुत्र भूपति दास निवासी ग्राम गधियावाँ थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ
1- मु.अ.सं. 251/24 धारा 406/420/467 भादवि थाना आसपुर देवसरा
2- मु.अ.सं. 105/26 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना आसपुर देवसरा
3- मु.अ.सं. 183/07 धारा 147, 148, 149, 352, 447 भादवि थाना आसपुर देवसरा

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नारायणदास पाण्डेय पुत्र भूपतिदास पाण्डेय, उम्र करीब 66 वर्ष, निवासी ग्राम गंधियावा, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह का0 तेजबहादुर, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 04 देशी जिंदा बम के साथ 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार, मोटरसाइकिल बरामद कर सीज की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त रिंकज कोरी उर्फ मुहनोचवा को 04 अदद देशी जिंदा बम के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर नियमानुसार सीज की गई।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त पर जनपद कानपुर नगर, जनपद प्रतापगढ़ में चोरी, विस्फोटक पदार्थ के अभियोग पंजीकृत है-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 रामनरेश मय हमराह उ0नि0 श्री बनवारीलाल पाल, का0 राहुल यादव, आलोक यादव, का0 नीरज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत जंगलीवीर बाबा के पास ग्राम कस्बा लालगंज से 01 अभियुक्त रिंकज कोरी उर्फ मुहनोचवा पुत्र रामपियारे निवासी ग्राम तिना चितरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को 04 अदद देशी जिंदा बम के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर नियमानुसार सीज की गई।

पूछताछ में अभियुक्त ने रात में मैं छोटी मोटी चोरियां करता हूं अपनी सुरक्षा के लिये देशी सुतली बम अपने पास रखता हूं अगर कोई आस पास आये तो उनके उपरफेक कर मैं भाग सकू।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. रिंकज कोरी उर्फ मुहनोचवा पुत्र रामपियारे निवासी ग्राम तिना चितरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त रिंकज कोरी उर्फ मुहनोचवा पुत्र रामपियारे निवासी ग्राम तिना चितरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0सं0 199/22 धारा 379,411 भादवि थाना गुजैनी दक्षिणी (कमिश्नरेट कानपुर नगर)
2.मु0अ0सं0 130/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना गुजैनी दक्षिणी (कमिश्नरेट कानपुर नगर)
3.मु0अ0सं0 318/25 धारा 317(2),318(2),336(3),338,340(2) बीएनएस थाना कल्यानपुर पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर)
4.मु0अ0सं0 291/26 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-
04 अदद देशी जिंदा बम

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रामनरेश मय हमराह उ0नि0 श्री बनवारीलाल पाल, का0 राहुल यादव, आलोक यादव, का0 नीरज कुमार, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लीलापुर के उ0नि0 केशव राम मय हमराह का० कुन्दन शर्मा, का० मोरध्वज, रि0का0 मनीष सिंह, रि0का0 सूरज गौड द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर माननीय न्यायालय एसीजेएम कक्ष सं0 13 प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट केश न0 1990/2020 अ0सं0 14/2004 धारा 323/504/506/452 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त मो० रऊफ पुत्र गुलबदन उम्र 60 वर्ष नि0 नाहर का पुरवा हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मो० रऊफ पुत्र गुलबदन उम्र 60 वर्ष नि0 नाहर का पुरवा हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

आपराधिक रऊफ पुत्र गुलबदन नि0 नाहर का पुरवा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़
1. मु0अ0सं0 14/2004 धारा 323/504/506/452 भादवि थाना लालगंज जनद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 28/2004 धारा 307/435/504/506 भादवि थाना लालंगज जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 501/2008 धारा 395/506 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0 315/25 धारा 188/269 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-
उ0नि0 केशव राम मय हमराह का० कुन्दन शर्मा, का० मोरध्वज, रि0का0 मनीष सिंह, रि0का0 सूरज गौड थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी : अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-
थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 अदद तमंचा नाजायज 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
अभियुक्त को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत लोनी नदी पुल के आगे बरदैत जाने वाले मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर अमला सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह का0 राजीव मौर्या, का0 अरुण कुमार तथा उ0नि0 शहंशाह खान मय हमराह का0 विशाल गिरी द्वारा रोकथाम जुर्म-जरायम, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं क्षेत्र में हुई चोरियों की रोकथाम हेतु गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत लोनी नदी पुल से आगे बरदैत जाने वाले मार्ग पर एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा नाजायज 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम अल्तमश पुत्र रियाज, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम पाती थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ बताया। अभियुक्त वैध शस्त्र लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। बरामदगी के आधार पर थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 255/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अल्तमश पुत्र रियाज, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम पाती थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
01 अदद देशी तमंचा नाजायज 315 बोर।
01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सौरभ यादव, उ0नि0 शहंशाह खान, का0 राजीव मौर्या, का0 अरुण कुमार एवं का0 विशाल गिरी, थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा मंदिर से चोरी किए गए 10 पीतल के घंटे एवं 01 पीतल का लोटा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सांगीपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रतापगढ़।
थाना सांगीपुर के उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह द्वारा क्षेत्र भ्रमण, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, जांच प्रार्थना पत्र, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की तलाश एवं अन्य पुलिस कार्यवाही के दौरान प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 179/2026, धारा 305(डी)/317(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) पंजीकृत किया गया।*

प्राप्त तहरीर के अनुसार दिनांक 01.08.2026 को मां सीकन भवानी देवी मंदिर परिसर की साफ-सफाई के दौरान अभियुक्त द्वारा मंदिर में लगे 10 अदद छोटे-बड़े पीली धातु (पीतल) के घंटे एवं 01 अदद पीली धातु (पीतल) का लोटा चोरी कर काले रंग के बैग में रखकर ले जाने का प्रयास किया गया। घटना के दौरान वादी द्वारा अभियुक्त को मौके पर ही पहचान कर पकड़ लिया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह का विष्णु शर्मा द्वारा मु0अ0सं0 179/2026, धारा 305(डी)/317(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त विजय शुक्ल पुत्र तुलसीराम, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे सीताराम, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्तर्गत मां सीकन भवानी देवी मन्दिर ग्राम गजेहडा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किए गए 10 अदद पीतल के घंटे, 01 पीतल का लोटा एवं एक काले रंग का बैग बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
विजय शुक्ल पुत्र तुलसीराम, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे सीताराम, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-
10 अदद पीली धातु (पीतल) के मंदिर के घंटे (छोटे-बड़े)
01 अदद पीली धातु (पीतल) का लोटा
01 अदद काले रंग का बैग

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह का विष्णु शर्मा, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना फतनपुर के उ0नि0 सन्तोष कुमार वर्मा मय हमराह आशुतोष तिवारी व का0 देवेन्द्र सिंह व रि0आ0 अजय द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी दौरान NBW मु0न0 736/2022 सम्बन्धित अ.स.77/2020 धारा 147, 323, 504,506,308, 188 IPC से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों, 1. कमलेश कुमार पुत्र नवादीन उर्फ ओमप्रकाश उम्र करीब 42 वर्ष, 2. अभि0 अनिल पुत्र रामफेर उम्र करीब 36 वर्ष, 3. राजन पुत्र रामफेर उम्र करीब 46 वर्ष निवासीगण ग्राम पटहटियां कलां थाना फतनपुर प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. कमलेश कुमार पुत्र नवादीन उर्फ ओमप्रकाश उम्र करीब 42 वर्ष,
2. अभि0 अनिल पुत्र रामफेर उम्र करीब 36 वर्ष,
3. राजन पुत्र रामफेर उम्र करीब 46 वर्ष निवासीगण ग्राम पटहटियां कलां थाना फतनपुर प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 सन्तोष कुमार वर्मा मय हमराह आशुतोष तिवारी व का0 देवेन्द्र सिंह व रि0आ0 अजय थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी के अभियोग में नामजद 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 लाठी बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी के अभियोग से संबंधित नामजद 01 अभियुक्ता रिचा पत्नी धीरेन्द्र सरोज को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 02 लाठी बरामद की गई।

प्रतापगढ़।
वादिनी निवासी ग्राम कुन्दनपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षीगण द्वारा उनकी पुत्री को मां-बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए लाठी, डंडा व सरिया से मारपीट की गई तथा घरवालों के आने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 332/2026 धारा 3(5)/115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम 08 नामजद अभियुक्त/अभियुक्ताओं के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 61(2)(A), 190, 191(2), 191(3), 126(2) एवं 109(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अमित कुमार चौहान मय हमराह का0 सतीश पाल, का0 योगेश कुमार, म0रि0का0 भूमि भारद्वाज तथा उ0नि0 उमेन्द्र शुक्ला मय हमराह हे0का0 चन्द्रभूषण यादव, म0रि0का0 निकिता त्रिपाठी द्वारा देखभाल क्षेत्र/वांछित अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 332/2026 से संबंधित नामजद अभियुक्ता रिचा पत्नी धीरेन्द्र सरोज, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम कुन्दनपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ के दौरान अभियुक्ता की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अदद लाठी बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। मुकदमे में नामजद अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
रिचा पत्नी धीरेन्द्र सरोज, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम कुन्दनपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
घटना में प्रयुक्त 02 अदद लाठी।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमित कुमार चौहान मय हमराह का0 सतीश पाल, का0 योगेश कुमार, म0रि0का0 भूमि भारद्वाज तथा उ0नि0 उमेन्द्र शुक्ला मय हमराह हे0का0 चन्द्रभूषण यादव, म0रि0का0 निकिता त्रिपाठी, थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा पुलिस की बड़ी बरामदगी : चोरी की घटना का सफल अनावरण, 01 शातिर अभियुक्त संदीप पटेल गिरफ्तार, कब्जे से 04 ट्रक की कमानी, 01 ट्रक का धुरा, 01 जीप का धुरा, 01 थ्रेशर का धुरा, 01 ट्रैक्टर-ट्रॉली टोचन, 01 जीप का साइलेंसर, 01 ट्रक का साइलेंसर, लोहे की स्प्रिंग, थ्रेशर की स्प्रिंग, हैंडपंप का टुकड़ा एवं अन्य चोरी का कबाड़ बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस को मिली सफलता। चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का भारी मात्रा में कबाड़ एवं विभिन्न वाहनों के पार्ट्स बरामद किए गए।

प्रतापगढ़।
थाना कुण्डा पर कबाड़ की दुकान से चोरी होने के संबंध में मु0अ0सं0 297/2026 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान चोरी की संपत्ति बरामद होने पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायन वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कुण्डा के उ0नि0 राजकुमार, उ0नि0 मो0 यूनुस खान मय हमराह कां0 हर्षवर्धन एवं रि0कां0 दिलीप द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश वांछित अभियुक्त एवं मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 297/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त संदीप पटेल पुत्र वंशीलाल पटेल निवासी पुरे गुलाम चिश्ती, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र

करीब 28 वर्ष को थाना क्षेत्र के मनगढ़ रोड से बरई जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का भारी मात्रा में कबाड़ एवं वाहन के पार्ट्स बरामद किए गए।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने दिनांक 30.07.2026 को एक कबाड़ की दुकान से उक्त सामान चोरी किया था। वह चोरी किए गए सामान को बेचने के उद्देश्य से ई-रिक्शा पर लेकर जा रहा था, तभी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. संदीप पटेल पुत्र वंशीलाल पटेल निवासी पुरे गुलाम चिश्ती, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी-
04 अदद ट्रक की कमानी
01 अदद ट्रक का धुरा
01 अदद जीप का धुरा
01 अदद थ्रेशर का धुरा
01 अदद ट्रैक्टर-ट्रॉली टोचन
01 अदद जीप का साइलेंसर
01 अदद ट्रक का साइलेंसर
01 अदद लोहे की स्प्रिंग
01 अदद थ्रेशर की स्प्रिंग
01 अदद हैंडपंप का टुकड़ा
अन्य चोरी का लोहे का कबाड़

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राजकुमार, उ0नि0 मो0 यूनुस खान, कां0 हर्षवर्धन एवं रि0कां0 दिलीप, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।